कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट, (अल्मोड़ा)

e.mail : eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 178 /कैम्प–रामनगर/ 50 सी0 दिनांक 23 .03.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी लिंक मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (33105) निर्माण हेतु 4.286 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– **भारत सरकार का पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/62/2019/एफ0सी0/427 दिनांक 24.05.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.286 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्वान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। आरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	**अधिरोपित शर्त**	**सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या**
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	वचनवद्वता संलग्न है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर ए0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन कार्य जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित जायेगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसाई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचें।	वचनवद्वता संलग्न है।
6	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार क्षति नही पहुंचायी जायेगी।	वचनवद्वता संलग्न है।
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
8	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 से अधिक न हो।	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 8 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान एवं पातन किया जायेगा। उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।

9	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी	वचनवद्वता संलग्न है।
10	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।	वचनवद्वता संलग्न है।
11	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	वचनवद्वता संलग्न है।
12	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गयी शर्तो का सन्तोषजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	वचनवद्वता संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्ग में आने वाले वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 01 :– वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

शर्त संख्या 02 :– एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर ए0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी़ मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

शर्त संख्या 03 :– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

शर्त संख्या 04 :– प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन कार्य जिन पर **Forward** एवं **Back bearing** अंकित जायेगी, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

शर्त संख्या 05 :– प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसाई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुॅचें, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 06 :– परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार क्षति नही पहुंचायी जायेगी, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 07 :– वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

(डी0 ओ0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

शर्त संख्या 09 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

शर्त संख्या 10 :– परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा, के सम्बन्ध में वचनवद्धता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्धता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

शर्त संख्या 11 :– यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वचनवद्वता प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

शर्त संख्या 12 :– ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गयी शर्तो का सन्तोषजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है, के सम्बन्ध में वचनवद्वता की जाती है।

(इं0 जी0एस0 बिष्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)